भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.806
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू की स्थिति

+806. **श्री शत्रुघ्न सिन्हाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के आरंभ से घटक-वार और वर्ष-वार कितने आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है और कितने आवास पूर्ण किए गए हैं**;**
(ख) क्या सरकार ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वास्तविक मांग का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**;**
(ग) उक्त योजना की शुरुआत से स्लम (झुग्गी झोपडी निवासी) परिवारों हेतु वर्ष-वार स्वीकृत और पूर्ण किए गए कुल आवासों का प्रतिशत कितना है**;** और
(घ) क्या सरकार का विचार यह निर्धारित करने हेतु एक सर्वेक्षण करने का है कि क्या पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रदान किए गए आवासों पर वास्तव में इच्छित लाभार्थियों का कब्जा है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्लम में रहने वालों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की

सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। पीएमएवाई-यू के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त साधनों के माध्यम से विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, पूर्ण आवासों के आबंटन सहित परियोजनाओं का निरुपण और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ अपनी मांग दर्ज कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और लाभार्थी सूची का चयन/जांच राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर की जाती है। योजना के दिशा-निर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल को **https://pmay-urban.gov.in** पर देखे जा सकता है।

मांग मूल्यांकन और सत्यापन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमेय केन्द्रीय सहायता स्वीकृती के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभाथयों का पारदर्शी चयन, लाभार्थी सूचियों की सूक्ष्मता से जाँच-पड़ताल, आबंटन और लक्षित लाभार्थियों द्वारा आवासों पर कब्जे की जांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कई स्तर पर की जाती है। योजना के तहत विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत आवासों का आबंटन और आवासों पर कब्जे की जांच पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमएवाई-यू के तहत सभी आवासों को केवल लक्षित और पात्र लाभार्थियों को सौंपा गया है। सभी जनसांख्यिकीय विवरणों सहित सभी लाभार्थियों का डाटाबेस मंत्रालय द्वारा भी रखा जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक योजना के तहत पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत 10.43 लाख आवासों सहित कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है।

इनमें से 113.85 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 24.11.2025 तक देश भर में 96.02 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0

के तहत इसकी शुरुआत के बाद से स्वीकृत आवासों, पूर्ण किए गए/स्लमनिवासियों सहित लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का घटक और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत इसकी शुरुआत के बाद से स्वीकृत आवासों, पूर्ण किए गए आवासों/स्लम परिवारों के लिए स्वीकृत और पूरे किए गए कुल आवासों का वर्ष-वार प्रतिशत अनुलग्नक-II में दिया गया है।

नीति आयोग द्वारा पीएमएवाई-यू सहित सभी केंद्रीय शहरी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। सीएलएसएस घटक का मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया है।

*****

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत आवासों, पूर्ण किए गए स्लमनिवासियों सहित लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का घटक और वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	मिशन के अंतर्गत कुल आवास						
	बीएलसी		एएचपी/आईएसएसआर		सीएलएसएस/ आईएसएस	कुल स्वीकृत	कुल पूर्ण
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत/पूर्ण		
2015-16	1,61,022	1,53,120	3,59,218	3,25,909	5,835	5,26,075	4,84,864
2016-17	4,68,821	4,31,133	1,42,332	1,11,695	22,607	6,33,760	5,65,435
2017-18	9,94,039	8,98,810	5,59,246	4,15,438	1,12,449	16,65,734	14,26,697
2018-19	14,05,834	12,40,116	3,99,634	2,76,954	4,27,004	22,32,472	19,44,074
2019-20	11,45,038	8,78,066	54,484	38,793	4,16,403	16,15,925	13,33,262
2020-21	8,73,179	5,63,829	69,242	36,040	6,05,751	15,48,172	12,05,620
2021-22	10,50,244	7,10,339	98,844	37,298	4,83,871	16,32,959	12,31,508
2022-23	4,90,984	3,33,930	0	0	4,30,300	9,21,284	7,64,230
2023-24	3,86,057	2,55,885	0	0	0	3,86,057	2,55,885
2024-25	3,50,655	89	1,272	0	0	3,51,927	89
2025-26	5,95,810	47	47,317	0	48,512	6,91,639	48,559
कुल	79,21,683	54,65,364	17,31,589	15,84,141*	25,52,732	1,22,06,004	96,02,237

 इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूरे किए जा चुके (3.42 लाख) आवास शामिल हैं।

दिनांक 04-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शुरुआत से लेकर अब तक वर्षवार स्वीकृत आवास और सभी के लिए और स्लम परिवारों के लाभार्थियों के लिए वर्ष-वार स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवास

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास		पूर्ण आवास		
	कुल मिलाकर (संख्या में)	स्लम परिवार (संख्या में)	कुल मिलाकर (संख्या में)	स्लम परिवार (संख्या और प्रतिशत में)	
2015-16	5,26,075	2,85,111	4,84,864	2,51,769	52%
2016-17	6,33,760	2,14,136	5,65,435	1,67,745	30%
2017-18	16,65,734	2,89,436	14,26,697	2,37,808	17%
2018-19	22,32,472	5,19,635	19,44,074	3,86,016	20%
2019-20	16,15,925	4,93,984	13,33,262	2,28,670	17%
2020-21	15,48,172	4,21,964	12,05,620	1,44,946	12%
2021-22	16,32,959	4,91,838	12,31,508	1,59,525	13%
2022-23	9,21,284	1,68,369	7,64,230	56,806	7%
2023-24	3,86,057	52,451	2,55,885	9,444	4%
2024-25	3,51,927	2,967	89	-	-
2025-26	6,91,639	7,306	48,559	-	-
कुल	1,22,06,004	29,47,197	96,02,237*	19,84,743*	21%

 इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण किए गए (3.42 लाख) आवास शामिल हैं।